न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस **संख्या 2022/390**

1. प्रभू पुत्र खांगला
2. सुगाराम पुत्र खांगा
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 28—06—2017 मिसल संख्या 58/2017 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर उनवानी सरकार बनाम गिरधारी

उपस्थित—

1. श्री बंशीधर जाटव कील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0

निर्णय

दिनांक—09.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 28.06.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा—5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 994/1/0.61 मे से 0.0350, 963/0.91 में से 0.08, 994/2/0.59 मे से 0.03, 1027/0.34 मे से 0.0150, 1011/0.34 मे से 0.450, 944/0.20 मे से 0.0150, 945/0.16 मे से 0.0150, 960/0.49 में से 0.05, 961/0.63 मे से 0.03, 962/0.88 मे से 0.09, 1621/955/0.25 में से 0.0350, 9.55/1.31 मे से 0.0150, 1010/0.10 मे से 0.10 है0 के संबंध में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 28.06.2017 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 28.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रभू पुत्र खांगला वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा दिनांक 28.06.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 944, 945, 960, 961, 1621/955, 962 955 के अपीलांट्स काबिज रिकाड्रेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा मौका फर्स्ट रिपोर्ट इस आशय की पेश कि गई कि परिपत्र दिनांक 10–08–2016 की अनुपालना में पटवार मण्डल नाथावाला के गाम चिमनपुरा में आराजी खसरा नम्बर 944, 945, 960 लगायत 963, 955, 994/1, 994/2, 1621/955, 1010, 1011, 1027 का मौका देखा गया। उक्त रिपोर्ट पर किसी प्रकार की तारीख अंकित नही है तथा ना ही सरपंच के हस्ताक्षर है ना ही किसी प्रकार का उल्लेख किया गया है। शमशान में जाने के लिये हल्का पटवारी द्वारा फर्द मौका तैयार की गई है शमशान मे रास्ता पूर्व से ही चालू है तथा रास्ते के दोनो तरफ सीमेन्ट के पिल्लर गाड कर तार बांउण्ड्री कर रखी है । परन्तु निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश में 20 से 30 फीट की चौडाई का रास्ता कायम कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है तथा इतनी चौड़ाई में मौके पर कोई रास्ता चालू भी नहीं है शमशान में जाने के लिये 5–6 फीट का रास्ता चाहिये जो मौके पर चालू है इस कारण रास्ता चौड़ा किया गया है जिसका कोई प्रावधान 2016 के परिपत्र में नही है।वर्णितानुसार क्षेत्रफल पर रास्ता मोके पर आज भी मौके पर चालू नही है उसके उपरान्त भी नया रास्ता कायम कर दिया गया जो प्रपत्र में वर्णित नियमो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कतई कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, तथा न ही विधिक प्रक्रिया का ही कोई पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ खातेदारों को, अनुचित, अवैध लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नया रास्ता मौके पर चालू करने के उद्देश्य से आज्ञा प्रसारित की है। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है न मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस ही दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर 28.06.2017 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार शाहपुरा ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 07.06.2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है किग्राम चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 994/1/0.61 मे से 0.0350, 963/0.91 में से 0.08, 994/2/0.59 मे से 0.03, 1027/0.34 मे से 0.0150, 1011/0.34 मे से 0.450, 944/0.20 मे से 0.0150, 945/0.16 मे से 0.0150, 960/0.49 में से 0.05, 961/0.63 मे से 0.03, 962/0.88 मे से 0.09, 1621/955/0.25 में से 0.0350, 9.55/1.31 मे से 0.0150, 1010/0.10 मे से 0.10 है0 के संबंध में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश को दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि खसरा नम्बर 944, 945, 960, 961, 1621/955, 962 955 के अपीलांट्स काबिज रिकाड्रेड खातेदार है इनको अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है जिससे यह साबित हो सके की रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 28.06.2017 निरस्त किया जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।